

क्रमांक 3327002/छ.ग./2017/
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़,
शिवनाथ-भवन, नार्थ ब्लॉक सेक्टर-19,
नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर

दिनांक /11/2019

प्रति,

मुख्य अभियंता,

1. हसदेव कछार, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर
2. मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर

विषय :- शासनादेश की प्रति सौंपने बाबत।

संदर्भ :- छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र क्रमांक

1. एफ 01-20/31/स्था./2018, दिनांक 25.10.2019.
2. एफ 01-20/31/स्था./2018, दिनांक 25.10.2019.

—00—

विषयांतर्गत शासन के उपरोक्त संदर्भित आदेशों की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है। कृपया संबंधितों को शासनादेश की प्रति सौंपकर, पालन प्रतिवेदन से शासन एवं इस कार्यालय को तत्काल अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।

हस्ताक्षर :-
अधीक्षक अभियंता (प्रशा.),
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़,
नवा रायपुर, अटल नगर

पृष्ठा. क्रमांक 3327002/छ.ग./2017/ 14647

रायपुर, दिनांक 19/11/2019

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर की ओर उनके उपरोक्त संदर्भित आदेशों के तारतम्य में सादर सूचनार्थ।
2. कार्यपालन अभियंता, एम.आई.एस. यूनिट, स्टेट डाटा सेंटर, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर की ओर विभाग की वेबसाईट www.cgwrd.in पर अपलोड हेतु।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।
(स.क्र.-2 हेतु)

हस्ताक्षर :-
अधीक्षक अभियंता (प्रशा.),
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़,
नवा रायपुर, अटल नगर



344

**छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय**

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

-:: आदेश ::-

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक: 25.10.2019

क्रमांक एफ 01-20/31/स्था./2018:: विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 09.06.2008 द्वारा की गयी अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में श्री बृजराज पाल जादौन, स्नातक उपअभियंता (सि.) को विभाग के जारी आदेश दिनांक 10.07.2008 से सहायक अभियंता (सि.) के पद पर प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान की गयी थी।

2/ श्री उत्तम कुमार श्रीवास्तव, स्नातक उपअभियंता (सि.) द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक 6742/2010 एवं अवमानना प्रकरण क्रमांक 350/2019 आर्डर शीट दिनांक 24.07.2019 एवं महाधिवक्ता, मान. उच्च न्यायालय, बिलासपुर से प्राप्त अभिमत में उल्लेख किया गया कि श्री बी.आर. जादौन एवं श्री उत्तम कुमार श्रीवास्तव का प्रकरण एक समान होने व दोनों को एक ही स्थिति में रखने एवं डीबी बैंच रिट अपील डब्ल्यू.ए. 108/2016 के परिप्रेक्ष्य में प्रोफार्मा पदोन्नति हेतु तत्समय आयोजित बैठक दिनांक 09.06.2008 के निरस्तीकरण/संशोधन बाबत रिव्यू डी.पी.सी. किये जाने का अभिमत प्राप्त हुआ।

3/ मान0 उच्च न्यायालय, बिलासपुर पारित निर्णय तथा महाधिवक्ता मान0 उच्च न्यायालय, बिलासपुर से प्राप्त अभिमत के परिपालन में सामान्य प्रशासन विभाग से परामर्श प्राप्त उपरान्त विभाग द्वारा दिनांक 09.06.2008 को सम्पन्न विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के परिप्रेक्ष्य में पुनरीक्षित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 19.08.2019 को आयोजित की जाकर प्रकरण का सम्पूर्ण अवलोकन/परीक्षण उपरांत श्री बृजराज पाल जादौन, स्नातक उपअभियंता (सि.) से सहायक अभियंता (सि.) के पद पर, दिनांक 09.06.2008 में पदोन्नति हेतु की गई अनुशंसा त्रुटिपूर्ण एवं गलत होना पाये जाने तथा विभागीय पदोन्नति समिति की मूल बैठक दिनांक 18.11.2004 तथा अग्रेत्तर बैठक दिनांक 25.09.2006 की तिथियों में छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत होना नहीं पाये जाने के कारण दी गयी प्रोफार्मा पदोन्नति को संशोधित करते हुए, श्री जादौन के नाम पर विचार नहीं किया गया।

4/ विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 19.08.2019 में श्री बृजराज पाल जादौन, को पूर्व में दी गयी प्रोफार्मा पदोन्नति बाबत की गई अनुशंसा एवं मान0 उच्च न्यायालय, बिलासपुर पारित निर्णय तथा सामान्य प्रशासन विभाग से परामर्श प्राप्त उपरान्त श्री बृजराज पाल जादौन को सहायक अभियंता के पद पर दी गयी प्रोफार्मा पदोन्नति निरस्त कर, यथावत् स्नातक उपअभियंता (सि.) के पद पर पदावनत किये जाने हेतु विभाग के पत्र दिनांक 20.09.2019 द्वारा 07 दिवस के भीतर मौखिक कथन अथवा दस्तावेज/अभिलेख प्रस्तुत करने तथा निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन/प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही सुनिश्चित की जाने बाबत कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया।

5/ श्री बृजराज पाल जादौन, सहायक अभियंता (सि.) द्वारा विभाग के जारी कारण बताओं सूचना पत्र पर प्राप्त प्रतिउत्तर के संबंध में विभाग के जारी आदेश दिनांक 21.05.2019 का उल्लेखित कर, वर्तमान में मान0 उच्च न्यायालय में याचिका दायर किये जाने के साथ-साथ समर्थन में मुख्य बिन्दुओं का लेख किया गया है, जो अभिमत सहित संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार है :-

- 1) अवमानना प्रकरण 350/2019 के अनुपालन में जारी आदेश दिनांक 21.05.2019 को श्री बी.आर. जादौन का प्रकरण श्री उत्तम कुमार श्रीवास्तव से भिन्न होना बताया गया, तत्संबंध में मान0 उच्च न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 21.05.2019 में श्री जादौन का प्रकरण श्री उत्तम कुमार श्रीवास्तव से अलग होना बताया गया किन्तु दिनांक 24.07.2019 के आर्डर शीट में माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर ने डब्ल्यू.पी. (एस.) 6742/2010 पारित निर्णय

दिनांक 13.09.2018 का बिल्कुल ही अनुपालन नहीं होने का उल्लेख किया गया है एवं साथ ही पुनः श्री जादौन व श्री उत्तम कुमार श्रीवास्तव को एक समान स्थिति में रखने हेतु आदेशित किया गया अर्थात् मान0 उच्च न्यायालय के निर्णय में दोनों का प्रकरण एक समान माना है।

2) डब्ल्यू.ए. 108/2016 में पारित आदेश दिनांक 17.10.2016 भूतलक्षी प्रभावशील नहीं है अतः उन पर लागू नहीं होता, के संबंध में लेख है कि डब्ल्यू.ए. 108/2016 पारित निर्णय भूतलक्षी प्रभावशील है, क्योंकि श्री डी.एस. दण्डोतिया को 2008 से दी गयी प्रोफार्मा पदोन्नति हेतु आदेशित हुआ था एवं अवमानना प्रकरण 350/2019 में शासन द्वारा प्रस्तुत आवेदन में भी डब्ल्यू.ए. 108/2016 के अनुपालन में श्री उत्तम कुमार श्रीवास्तव को उनके कार्य भार ग्रहण करने के पूर्व के दिनांक से पदोन्नत नहीं दिये जाने का उल्लेख किया गया है, इस पर मान0 उच्च न्यायालय केवल दोनों को एक समान स्थिति में रखने हेतु आदेशित किया गया है, तथा शासन द्वारा पुनः पुनरीक्षित डी.पी.सी. आहूत कर डब्ल्यू.ए. 108/2016 के परिपालन में श्री जादौन को दी गयी प्रोफार्मा पदोन्नति निरस्त करने की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में अनुशंसा किये जाने की लिखित जानकारी मान0 उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करने में इसे उपयुक्त मानते हुए मान0 उच्च न्यायालय द्वारा अवमानना प्रकरण खात्मा कर दिया गया है, फलस्वरूप श्री बृजराज पाल जादौन द्वारा जारी कारण बताओं सूचना पत्र के संबंध में कोई समाधानकारक/दस्तावेजी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया है, जो स्वीकार योग्य नहीं है।

6/ श्री उत्तम कुमार श्रीवास्तव, स्नातक उपअभियंता (सि.) द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक 6742/2010 एवं अवमानना प्रकरण क्रमांक 350/2019 आर्डर शीट दिनांक 24.07.2019 तथा महाधिवक्ता, मान. उच्च न्यायालय, बिलासपुर के परामर्श में उल्लेख किया गया कि श्री बी.आर. जादौन एवं श्री उत्तम कुमार श्रीवास्तव का प्रकरण एक समान होने व दोनों को एक ही स्थिति में रखने एवं डीबी बैंच रिट अपील डब्ल्यू.ए. 108/2016 पारित आदेश दिनांक 17.10.2016 अनुसार छ.ग. राज्य में कार्यग्रहण के दिनांक के बाद से ही पदोन्नति दी जा सकती है, न कि छ.ग. राज्य में कार्यग्रहण के पूर्व के दिनांक से, जिसकी पुष्टि मान0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली प्रकरण क्रमांक 3568/2017 के पारित निर्णय दिनांक 20.02.2017 से होती है।

7/ अतएवं वर्णित स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन एतद्वारा माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर दायर याचिका क्रमांक 6742/2010, अवमानना प्रकरण क्रमांक 350/2019 आर्डर शीट दिनांक 24.07.2019, महाधिवक्ता मान0 उच्च न्यायालय, बिलासपुर से प्राप्त अभिमत तथा सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त परामर्श उपरांत छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर की अध्यक्षता में आयोजित पुनरीक्षित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 19.08.2019 से की गई अनुशंसा के परिपालन में श्री बृजराजपाल जादौन, सहायक अभियंता के पद पर दी गयी प्रोफार्मा पदोन्नति आदेश दिनांक 10.07.2008 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए इन्हें, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्नातक उपअभियंता (सि.) के पद पर पदावनत करते हुए, उपअभियंता (सि.) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, कोटमी में पदस्थ करता है।

8/ श्री बृजराज पाल जादौन के पदोन्नति फलस्वरूप सहायक अभियंता के पद पर किया गया वेतन निर्धारण निरस्त करते हुए, सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति उपरांत इनके द्वारा आहरित वेतन-आदि की कोई वसूली नहीं की जावे, तथापि पूर्व पद अर्थात् उपअभियंता का वेतन निर्धारण इस प्रकार किया जावे, जैसा कि वे कभी सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नत ही नहीं हुए थे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(वृन्दावन सेन) 10/10/2019

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग

पृष्ठां. क्र एफ 01-20/31/स्था./2018
प्रतिलिपि:-

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक: 25.10.2019

1. रजिस्टार, माननीय उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर, याचिका क्र. 6742/2010 एवं अवमानना प्रकरण क्रमांक 350/2019 के तारतम्य में,
 2. महाधिवक्ता, मान0 उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर, याचिका क्र. 6742/2010 एवं अवमानना प्रकरण क्रमांक 350/2019 के तारतम्य में,
 3. मान0 मंत्रीजी के विशेष सहायक, छ.ग. शासन, जल संसाधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
 4. निज सचिव, सचिव/संयुक्त सचिव छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
 5. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शिवनाथ भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
 6. नोडल अधिकारी, कार्यालय मुख्य अभियंता मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना, बिलासपुर,
 7. समस्त मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर/बिलासपुर/अम्बिकापुर,
 8. प्रभारी अधिकारी, कार्यपालन अभियंता, वि.यां. भारी संयंत्र संभाग, रायपुर
 9. संबंधित अधिकारी श्री बृजराज पाल जौदान, स्नातक उपअभियंता (सि.) द्वारा प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शिवनाथ भवन, नवा रायपुर अटल नगर। कृपया संबंधित को हस्तगत कर, प्राप्ति अभिस्वीकृति भेजने का कष्ट करें।
 10. आदेश फोल्डर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

[Signature] 2019.

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

26 OCT 2019

कक्ष. *[Signature]*

आवक क्रमांक 8088
दिनांक 04/11/19

[Signature] RKN
[Signature] A. Anwar
[Signature] 4/11

छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय

प्रद ॥ ३६३

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

-:: आदेश ::-

नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 25.10.2019

क्रमांक एफ 07-01/31/स्था./2019:: सर्वश्री विजया गणवीर, सहायक ग्रेड-दो, एम.एच. खान, से.नि. कार्यपालन अभियंता, दीनाराम नेताम, से.नि. सहायक ग्रेड-दो, पी.सी. शर्मा, से.नि. उपअभियंता, अश्वनी कुमार शर्मा, से.नि. सहायक अभियंता, राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, से.नि. उपअभियंता, सुनील भट्टाचार्य, से.नि. सहायक ग्रेड-दो, रामलखन आर. गजेन्द्र, से.नि. सहायक ग्रेड-दो, मो० अलीम शेख, से.नि. उपअभियंता, शैलूराम यादव, से.नि. एवं श्रीमती शलिनी सिंह, से.नि. फलस्वरूप एक वेतनवृद्धि न दिये जाने के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में याचिका क्रमांक क्रमशः डब्ल्यू.पी.(एस.) 6173, 6571, 6762, 6047, 6984, 6491/2019 दायर किया गया। जिसमें मान. न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता को शासन के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं समयावधि के भीतर प्रकरण निराकृत किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं, स्थिति निम्नानुसार है :-

क्र.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम, पद व पदस्थापना	याचिका क्र. एवं पारित आदेश	से.नि. दिनांक
1	श्री विजया गणवीर, सहायक ग्रेड-2, से.नि. कार्या० मुख्य अभियंता, हसदेव कछार, बिलासपुर	6173/19 दि.16.08.19	30.06.19
2	श्री एम.एच. खान, से.नि. कार्यपालन अभियंता, कार्या० मुख्य अभियंता, मिनीमाता बांगो परियोजना, बिलासपुर	6571/19 दि.28.08.19	30.06.17
3	श्री दीनाराम नेताम, से.नि. सहायक ग्रेड-2, कार्या० कार्यपालन अभियंता, जल प्रबंध संभाग, रुद्री	-	30.06.18
4	श्री पी.सी. शर्मा, से.नि. उपअभियंता	6762/19 दि.03.09.19	30.06.17
5	श्री अश्वनी कुमार शर्मा, से.नि. सहायक अभियंता	6762/19 दि.03.09.19	30.06.17
6	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, से.नि. उपअभियंता	6762/19 दि.03.09.19	30.06.17
7	श्री सुनील भट्टाचार्य, से.नि. सहायक ग्रेड-दो	6047/19 दि.14.08.19	30.06.18
8	श्री रामलखन आर. गजेन्द्र, से.नि. सहायक ग्रेड-दो	6047/19 दि.14.08.19	30.06.18
9	श्री मो० अलीम शेख, से.नि. उपअभियंता	6047/19 दि.14.08.19	30.06.18
10	श्री शैलूराम यादव, से.नि.	6984/19 दि.09.09.19	30.06.17
11	श्रीमती शलिनी सिंह, से.नि.	6491/19 दि.27.08.19	30.06.17



.....क्रमशः.....

2/ दर्शित याचिकाकर्ताओं सर्वश्री विजया गणवीर, सहायक ग्रेड-दो, एम.एच. खान, से.नि. कार्यपालन अभियंता, दीनाराम नेताम, से.नि. सहायक ग्रेड-दो, पी.सी. शर्मा, से.नि. उपअभियंता, अश्वनी कुमार शर्मा, से.नि. सहायक अभियंता, राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, से.नि. उपअभियंता, सुनील भट्टाचार्य, से.नि. सहायक ग्रेड-दो, रामलखन आर. गजेन्द्र, से.नि. सहायक ग्रेड-दो, मो० अलीम शेख, से.नि. उपअभियंता, शैलूराम यादव, से.नि. एवं श्रीमती शलिनी सिंह, से.नि. द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर याचिकाओं में पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में सेवानिवृत्ति होने पर एक वेतनवृद्धि का लाभ प्रदाय करने का अनुरोध किया गया है।

3/ माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर दायर याचिकाओं में पारित निर्णय विरुद्ध सर्वश्री विजया गणवीर, सहायक ग्रेड-दो, एम.एच. खान, से.नि. कार्यपालन अभियंता, दीनाराम नेताम, से.नि. सहायक ग्रेड-दो, पी.सी. शर्मा, से.नि. उपअभियंता, अश्वनी कुमार शर्मा, से.नि. सहायक अभियंता, राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, से.नि. उपअभियंता, सुनील भट्टाचार्य, से.नि. सहायक ग्रेड-दो, रामलखन आर. गजेन्द्र, से.नि. सहायक ग्रेड-दो, मो० अलीम शेख, से.नि. उपअभियंता, शैलूराम यादव, से.नि. एवं श्रीमती शलिनी सिंह, से.नि. द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार है :-

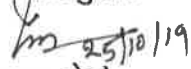
4/ विषयांकित प्रकरण से संबंधित एक अन्य प्रकरण पर पूर्व में वित्त विभाग द्वारा "छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 की कंडिका-10 के अनुसार वेतन वृद्धि की तारीख 1 जुलाई है, चूंकि शासकीय सेवक 30 जून को सेवानिवृत्त हो चुका है, अतः 1 जुलाई को सेवा में नहीं रहने के फलस्वरूप वेतनवृद्धि की पात्रता नहीं होगी।" इसके अलावा एक अन्य प्रकरण पर श्री रविशंकर पाण्डेय, से.नि. उपअभियंता (वि./यां.) मान० उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. (एस.) 3979/2019 पारित आदेश दिनांक 17.05.2019 एवं 08 अन्य अधिकारी/कर्मचारी द्वारा मान० उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर याचिकाओं में पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अभ्यावेदन स्वीकार योग्य न पाये जाने के कारण अमान्य किया गया है।

5/ सर्वश्री विजया गणवीर, सहायक ग्रेड-दो, एम.एच. खान, से.नि. कार्यपालन अभियंता, दीनाराम नेताम, से.नि. सहायक ग्रेड-दो, पी.सी. शर्मा, से.नि. उपअभियंता, अश्वनी कुमार शर्मा, से.नि. सहायक अभियंता, राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, से.नि. उपअभियंता, सुनील भट्टाचार्य, से.नि. सहायक ग्रेड-दो, रामलखन आर. गजेन्द्र, से.नि. सहायक ग्रेड-दो, मो० अलीम शेख, से.नि. उपअभियंता, शैलूराम यादव, से.नि. एवं श्रीमती शलिनी सिंह, से.नि. पश्चात् एक वेतनवृद्धि प्रदाय किये जाने संबंधी प्रस्तुत अभ्यावेदन एवं वित्त विभाग द्वारा दिये गये अभिमत के परीक्षण उपरांत स्वीकार योग्य न पाये जाने के कारण अभ्यावेदन अमान्य किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतएव राज्य शासन एतद्वारा वर्णित स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, सर्वश्री विजया गणवीर, सहायक ग्रेड-दो, एम.एच. खान, से.नि. कार्यपालन अभियंता, दीनाराम नेताम, से.नि. सहायक ग्रेड-दो, पी.सी. शर्मा, से.नि. उपअभियंता, अश्वनी कुमार शर्मा, से.नि. सहायक अभियंता, राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, से.नि. उपअभियंता, सुनील भट्टाचार्य, से.नि. सहायक ग्रेड-दो, रामलखन आर. गजेन्द्र, से.नि. सहायक ग्रेड-दो, मो० अलीम शेख, से.नि. उपअभियंता, शैलूराम यादव, से.नि. एवं श्रीमती शलिनी सिंह, से.नि. पश्चात् एक वेतनवृद्धि प्रदाय किये जाने बाबत प्रस्तुत अभ्यावेदन स्वीकार योग्य न पाये जाने के कारण, अमान्य करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार


(वृन्दावन सेन)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

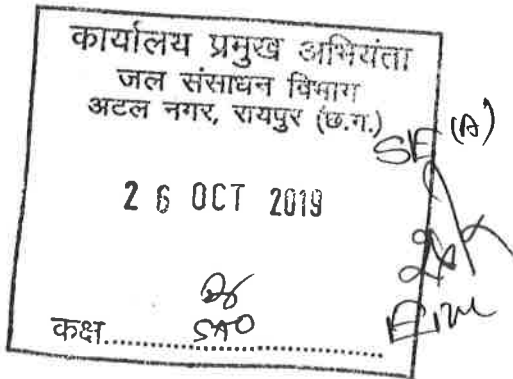
मुख्य संसाधन विभाग

.....क्रमशः.....

पृष्ठा.क्र एफ 07-01/31/स्था./2019
प्रतिलिपि:-

नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 25.10.2019

1. रजिस्टार, माननीय उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर, याचिका क्रमांक 6173, 6571, 6762, 6047,6984, 6491/2019,
 2. महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर, याचिका क्रं. 6173, 6571, 6762, 6047,6984, 6491/2019,
 3. मान0 मंत्रीजी के विशेष सहायक, छ.ग. शासन, जल संसाधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
 4. निज सचिव, सचिव/संयुक्त सचिव छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
 5. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
 6. नोडल अधिकारी, कार्यालय मुख्य अभियंता मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना, बिलासपुर, की ओर त्वरित प्रकरण निराकृत किया जाना सुनिश्चित करें।
 7. संबंधित मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग,
 8. संबंधित अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मंडल,
 9. संबंधित कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग,
 10. संबंधित अधिकारी/कर्मचारीगण द्वारा प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, छ0ग0 शिवनाथ भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
 11. आदेश फोल्डर।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग



8/RKM.
8/Ramt.
8/Amam

4/XI